



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - उच्चनार झरना.....

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 297/25 दापर दिनांक 27.9.2025 निर्णय दिनांक 29.9.2025

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>उच्चनार खला</u>	<u>148</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 /113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्राविष्टी</p> <p>बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्राविष्टी</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशाखा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यापीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>उच्चनार खला</u> प.ह. <u>उच्चनार झरना</u> खतासं <u>148</u> में वर्तमान प्राविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल उच्चनार झरना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी)

कपासन जिला-चित्तौड़गढ़